उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

निविदा सूचना

दिनांकः 30/07/2015

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में **चालकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुरुष/स्त्री) के लिए गर्मियों तथा सर्दियों की वर्दी, सिलाई, कम्बल, जूते/सैन्ड़ल, जुराब, बैच, बटन इत्यादि** की आपूर्ति हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की सूची तथा समस्त शर्तें, किसी भी कार्यदिवस में व्यवस्थाधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं जो कि माननीय न्यायालय की वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। बन्द निविदा महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पते पर दिनांक 20/08/2015 (दोपहर 3:00 बजे) तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन दोपहर 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जाएंगी।

ह0/—
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्याायालय, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

निविदा सूचना

दिनांकः 30/07/2015

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में **चालकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुरुष/स्त्री) के लिए गर्मियों तथा सर्दियों की वर्दी, सिलाई, कम्बल, जूते/सैन्ड़ल, जुराब, बैच, बटन इत्यादि** की आपूर्ति हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की सूची तथा समस्त शर्तें, किसी भी कार्यदिवस में व्यवस्थाधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं जो कि माननीय न्यायालय की वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। बन्द निविदा महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पते पर दिनांक 20/08/2015 (दोपहर 3:00 बजे) तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन दोपहर 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जाएंगी।

शर्तें:

1. निविदायें (केवल इस कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही) निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए निविदा दाखिल करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी। निविदा केवल निर्धारित प्रारुप पर ही दाखिल की जाएगी।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.200/– है जो कि निविदा जमा से पूर्व इस कार्यालय के रोकड़ अनुभाग में जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी तथा उक्त रसीद मूल रुप में निविदा के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी। निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा।
3. निविदा प्रपत्र माननीय न्यायालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस स्थिती में निविदा प्रपत्र के साथ रु.200/– का ड्राफ्ट (नॉन–रिफन्डेबल) जो कि महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पक्ष में नैनीताल में देय हो, संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
4. मुहरबन्द निविदा महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पते पर दिनांक 20/08/2015 (दोपहर 3:00 बजे) तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए जिसके ऊपर **"चालकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुरुष/स्त्री) के लिए गर्मियों तथा सर्दियों की वर्दी, सिलाई, कम्बल, जूते/सैन्ड़ल, जुराब, बैच, बटन इत्यादि हेतु निविदा"** अंकित होना चाहिए।
5. कोई भी इच्छुक निविदा दाता उच्च न्यायालय के महानिबन्धक या अन्य किसी निबन्धक से किसी भी प्रकार से सम्पर्क नहीं करेगा।
6. अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित/स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार ही की जाएगी।
7. निविदा फार्म में भरे गए मूल्यों में कोई काट–छॉट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संसोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल का होगा। वह न्यूनतम दर वाली निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही न्यूनतम दरें स्वीकृत की जायेगी।
9. निविदा दाता कुछ अथवा सभी सामग्रियों के लिए निविदा कर सकता है। यद्यपि सभी सामग्रियों वाली निविदा को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. सप्लाई की जाने वाली वर्दी के नमूनों का अवलोकन तथा सम्बन्धित अन्य जानकारियां, किसी भी कार्यदिवस में मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं।
11. माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार की गयी निविदा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।

12. निविदा की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल का होगा।

13. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदा कर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदा दाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

14. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रु.20,000/– की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल** के पक्ष में नैनीताल में देय हो, धरोहर राशि के रुप में जमा करना होगी। किसी भी दशा में धरोहर राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं होंगी उनकी धरोहर राशि, एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। लेकिन निविदा स्वीकृत होने की दशा में उक्त धरोहर राशि (सामान्य परिस्थितियों में) निविदा अवधि के पूर्ण होने/समस्त सामग्री की सप्लाई होने पर वापस की जायेगी।

15. क्रय की जाने वाली सामग्री आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।

16. निविदा फार्म के साथ कपड़े (प्रत्येक का 1/4 मीटर जिसमें ब्रांड अंकित हो)/सामग्री (कम्बल, जूता/सैन्ड़ल/जुराब आदि का जोड़ा) इत्यादि का नमूना संलग्न करना होगा। अस्वीकृत निविदा के साथ संलग्न कम्बल, साड़ी, जूते/सैन्ड़ल तथा जुराब के नमूने के अलावा कोई भी नमूना वापस नहीं किया जाएगा। स्वीकृत होने वाली निविदा के साथ संलग्न कम्बल, साड़ी तथा सैन्ड़ल के अलावा कोई भी नमूना वापस नहीं किया जाऐगा तथा ना ही बिल में समायोजित किया जाएगा।

17. सिलाई के लिए निविदा भरने वाली फर्म को सिलाई (किसी कपड़े पर इन्टर लॉकिंग इत्यादि) तथा सिलाई हेतु उपयोग में लाई जाने वाली धागे की रील का नमूना संलग्न करना होगा।

18. निविदा प्रपत्र में सप्लाई की जाने वाली सामग्री/कपड़े की ब्रांड का नाम लिखना होगा।

19. सिलाई/इत्यादि हेतु आवश्यक नाप–जोख कोर्ट परिसर में ही लेनी होगी।

20. निविदा दाता को सिलाई की व्यवस्था कोर्ट परिसर में अपने साधनों/मशीन इत्यादि द्वारा करानी होगी जिसके लिए भवन की व्यवस्था कोर्ट द्वारा की जाएगी। कारीगरों/लेबर इत्यादि के रहने/खाने/चाय इत्यादि के समस्त खर्चे निविदा दाता को स्वयं वहन करने होंगे।

21. कपड़े की क्वालिटी/रंग न निकलने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। अन्यथा की स्थिति में सामग्री को बदलकर देना होगा।

22. सिलाई हेतु अच्छे धागे का उपयोग अनिवार्य है। फिटिंग/सिलाई से सम्बन्धित किसी भी शिकायत का निवारण तुरन्त करना होगा। भुगतान हो जाने के उपरान्त भी फिटिंग/सिलाई सम्बन्धित शिकायतों का निवारण करना होगा।

23. उन सभी निविदादाताओं को जिनकी निविदा कपड़े/कम्बल/जूते/सैन्ड़ल/जुराब/अन्य सम्बन्धित सामग्री के लिए स्वीकृत होंगी, सहमति/करार आदेश प्राप्त होने के 14 दिवसों के अन्दर समस्त सप्लाई करनी होगी। सिलाई के लिए स्वीकृत निविदा दाता को सहमति/करार आदेश अथवा सिलाई शुरु करने योग्य कपड़ा प्राप्त होने, जो अन्तिम हो, से 45 दिवसों के अन्दर कार्य को समाप्त करना होगा। यदि कपड़े तथा सिलाई की निविदा एक ही फर्म की स्वीकृत होती हैं तो समस्त कार्य सहमति/करार आदेश प्राप्त होने के 50 दिवसों के अन्दर समाप्त करना होगा।

24. उपरोक्त में असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर ले तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ले एवं ऐसी फर्म को काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

25. समस्त सामग्री की आपूर्ति की जॉच अधोहस्ताक्षरी/प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा किसी भी समय की जा सकती है। यदि आपूर्ति की वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार अथवा निर्धारित निर्दिष्टीकरण के अनुसार नहीं पायी जाती है तो आपूर्ति को निविदा दाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा। अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। यह अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल के पास सुरक्षित है।

26. निविदा पत्र उन्ही फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किये जायेंगे जो उस वस्तु/सामान/मशीन इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो व भौतिक रूप से अमुक व्यवसाय वाली फर्म स्थापित हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हों। निविदा पारण के उपरान्त वैध अवधि के दौरान पाया जाता है कि अमुक फर्म भौतिक रूप से स्थापित नहीं है तो पारित निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

27. निविदा दाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुयें अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता।

28. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान समस्त सामग्री की सप्लाई अथवा कार्य समाप्ति के उपरान्त ही किया जाएगा।

29. विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवाद के निपटारे के बाद परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान कर दिया जायेगा।

30. आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार या कोई स्कीम, कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदादाता उस उपहार/स्कीम की वस्तु को न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे तथा उसे बिल में भी दर्शायेंगे परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी। और वे उपहार में दी गई वस्तु की कीमत की मॉग नहीं करेंगे।

31. निविदा के मूल्य निविदा खुलने से 90 दिनों तक मान्य माने जाएंगे।

32. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्रवाई करे।

33. किसी सामग्री का मूल्य दो अथवा ज्यादा निविदाकर्ताओं द्वारा समान भरे जाने की स्थिति में उक्त सामग्री किसी भी निविदाकर्ता से लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

34. निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे वैट/बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए परन्तु किसी भी दशा में वस्तु का मूल्य वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

35. एफ0ओ0आर0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल होनी चाहिए। इसके लिए अलग से कोई मार्ग व्यय/भाडा/पैंकिग चार्ज/डाक व्यय/लेबर चार्ज देय नहीं होगा।

36. आपूर्तित सामग्री के भुगतान हेतु प्रेषित किए जाने वाले बिल मूद्रित तथा क्रमानुसार होने चाहिए जिस पर TIN, CST तथा Account नम्बर इत्यादि अंकित होने चाहिए।

37. निविदा दाता को कोमर्शियल टैक्स विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

38. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी विवाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

39. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे:–

    i. आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर प्रमाण पत्र

    ii. निर्धारित धरोहर धनराशि की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट

    iii. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक/अधिकृत डीलर है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक/अधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र

    iv. इस कार्यालय के रोकड अनुभाग द्वारा जारी निविदा प्रपत्र फीस रु.200/– की रसीद मूल रुप में अथवा रु.200/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट ।

    v. सभी प्रकार के आवश्यक लाइसेन्स, पंजीकरण आदि की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां।

ह0/–
महानिबन्धक
माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

हस्ताक्षर	:–	....
निविदा भरने वाले का नाम	:–	....
पिता का नाम	:–	....
पूर्ण पता	:–	....
		....
फर्म की मोहर		
दिनांक	:–	....
फोन नं0 तथा अन्य विवरण	:–	....
		....

नवीनतम फोटोग्राफ

40. निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्ते हमें मान्य हैं।

41. हमने सभी शर्तें पढ ली हैं तथा मैं निविदा शर्तो का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

प्रपत्र–1

सप्लाई की जाने वाली सामग्री इत्यादि

क्र.सं.	सामग्री इत्यादि का विवरण	कुल संख्या	ब्रांड का नाम	मूल्य प्रति मीटर/नग (₹)
	गर्मियों की वर्दी			
1.	पेन्ट तथा कोट के लिए सफेद कपड़ा (चालक) **(पेन्ट=1.2मी., कोट=1.8मी.)**	17 व्यक्ति		
2.	कोट में छाती पर ब्लू पैच हेतु ब्लू कपड़ा 1/2 मीटर प्रति कोट (चालक)	17 व्यक्ति		
3.	पेन्ट तथा लम्बे कोट के लिए सफेद कपड़ा (जमादार) **(पेन्ट=1.2मी., कोट=2.8मी.)**	06+**03** =09 व्यक्ति		
4.	पेन्ट तथा कोट के लिए सफेद कपड़ा (अनुसेवक) **(पेन्ट=1.2मी., कोट=1.7मी.)**	103 व्यक्ति		
5.	पेन्ट के लिए ग्रे कपड़ा (माली तथा स्वच्छक) **(पेन्ट=1.2मी.)**	04+06 =10 व्यक्ति		
6.	शर्ट के लिए नेवी ब्लू कपड़ा (माली) **(शर्ट=2मी.)**	04 व्यक्ति		
7.	शर्ट के लिए स्काई ब्लू कपड़ा (स्वच्छक) **(शर्ट=2मी.)**	06 व्यक्ति		
8.	नेवी ब्लू साड़ी (5 मीटर) (स्त्री अनुसेवक)	01 व्यक्ति		
9.	ब्लाउज हेतु लाइट ब्लू कपड़ा (स्त्री अनुसेवक)	01 व्यक्ति		
10.	पेटीकोट हेतु नेवी ब्लू कपड़ा (स्त्री अनुसेवक) **(पेटीकोट=2मी.)**	01 व्यक्ति		
	सर्दियों की वर्दी			
11.	पारित बटन्ड अप ब्लू ब्लेजर के लिए कपड़ा (चालक) **(ब्लेजर=1.8मी.)**	17 व्यक्ति		
12.	ब्लू ब्लेजर से मेल खाने वाला गर्म पैन्ट के लिए ब्लू कपड़ा (चालक) **(पेन्ट=1.2मी.)**	17 व्यक्ति		
13.	लम्बे वूलैन कोट के लिए रेड़ ब्लेजर कपड़ा (जमादार) **(ब्लेजर=2.8मी.)**	06+**03** =09 व्यक्ति		
14.	पेन्ट के लिए गर्म ग्रे कपड़ा (जमादार, अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक) **(पेन्ट=1.2मी.)**	09+103+04+ 06=122 व्यक्ति		
15.	कोट के लिए ब्लू ब्लेजर कपड़ा (अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक) **(ब्लेजर=1.7मी.)**	103+04+06 =113 व्यक्ति		
16.	लेड़ीज नेवी ब्लू ब्लेजर के लिए कपड़ा (स्त्री अनुसेवक) **(ब्लेजर=2.25मी.)**	01 व्यक्ति		
	वर्दी के साथ की सामग्री			
17.	कोट के लिए ब्रास बटन (बड़े) (17+9+103+17+9+113+1=269)	269x5=1,345 नग		
18.	कोट के लिए ब्रास बटन (छोटे) (17+9+103+17+9+113+1=269)	269x6=1,614 नग		
19.	सफेद लम्बे कोट के लिए बेल्ट (जमादार)	9 नग		
20.	रेड़ लम्बे कोट के लिए बेल्ट (जमादार)	9 नग		
21.	टरबन के लिए सफेद कपड़ा (7 मीटर) (जमादार तथा अर्दली)	18x7=126 मी.		
22.	चालक कैप अशोका बैच सहित	17 नग		
23.	चालक के चैस्ट के बैच (अशोका)	17 नग		
24.	चैस्ट के ब्रास अशोका बैच (2.5 इंच) (समस्त, चालकों के अतिरिक्त)	123 नग		
25.	टरबन के लिए नेवी ब्लू कुल्हास (जमादार तथा अर्दली)	18x1=18 नग		
26.	टरबन के लिए ब्रास बैच (High Court of Uttarakhand) राउन्ड शैप (जमादार व अर्दली)	18x1=18 नग		
	जूते/सैन्ड़ल तथा जुराब			
27.	जूते (प्रति जोड़ी) (चालक, जमादार,	17+09+103+		

	अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक)	04+06=139		
28.	सैन्ड़ल (प्रति जोड़ी) (स्त्री अनुसेवक)	01		
29.	जुराब (प्रति जोड़ी) (चालक, जमादार, अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक)	17+09+103+ 04+06=139		
30.	जुराब लम्बी (प्रति जोड़ी) (स्त्री अनुसेवक)	01		
कम्बल				
31.	कम्बल (चालक, जमादार, अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक)	17+09+104+ 04+06=140		
सिलाई				
32.	पेन्ट तथा कोट (चालक)	17 व्यक्ति		
33.	पेन्ट तथा लम्बे कोट (जमादार)	06+**03** =09 व्यक्ति		
34.	पेन्ट तथा कोट (अनुसेवक)	103 व्यक्ति		
35.	ग्रे पेन्ट (माली तथा स्वच्छक)	04+06 =10 व्यक्ति		
36.	नेवी ब्लू शर्ट (माली)	04 व्यक्ति		
37.	स्काई ब्लू शर्ट (स्वच्छक)	06 व्यक्ति		
38.	लाइट ब्लू ब्लाउज (स्त्री अनुसेवक)	01 व्यक्ति		
39.	नेवी ब्लू पेटीकोट (स्त्री अनुसेवक)	01 व्यक्ति		
40.	पारित बटन्ड अप ब्लू ब्लेजर (चालक)	17 व्यक्ति		
41.	गर्म ब्लू पैन्ट (चालक)	17 व्यक्ति		
42.	लम्बे वूलैन कोट / रेड़ ब्लेजर (जमादार)	06+**03** =09 व्यक्ति		
43.	ग्रे पेन्ट (जमादार, अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक)	09+103+04+ 06=122 व्यक्ति		
44.	कोट / ब्लू ब्लेजर (अनुसेवक, माली तथा स्वच्छक)	103+04+06 =113 व्यक्ति		
45.	लेड़ीज नेवी ब्लू ब्लेजर (स्त्री अनुसेवक)	01 व्यक्ति		

हस्ताक्षर :– ....

निविदा भरने वाले का नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

पूर्ण पता :– ....

....

फर्म की मोहर

दिनांक :– ....

फोन नं0 तथा अन्य विवरण :– ....

....